भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3033
19 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

खाद्यान्न की कालाबाजारी

3033. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:
डॉ. नामदेव किरसान:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए कोई विशिष्ट उपाय किए हैं;
(ख) यदि हां, तो इसका सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित करने और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए क्या प्रमुख कदम उठाए गए हैं; और
(ग) उपभोक्ताओं को कीमतों में उतार-चढ़ाव और कमी से बचाने के लिए आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता की नियमित रूप से निगरानी करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): आवश्यक वस्तु अधिनियम, (ई.सी. अधिनियम), 1955 और कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम, (पी.बी.एम.एम.एस.ई.सी. अधिनियम), 1980, सरकार को खाद्यान्नों सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को विनियमित करने के लिए वैधानिक एवं प्रशासनिक आधार प्रदान करते हैं, ताकि उनकी आपूर्ति को बनाए रखा जा सके या बढ़ाया जा सके तथा उनका समान वितरण एवं उचित मूल्यों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

....2/-

कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव (पीबीएमएमएसईसी) अधिनियम, 1980, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति अधिनियम, 1955 का पूरक है। इसे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से अवैध और अनैतिक व्यापार प्रथाओं, मुनाफाखोरी, जमाखोरी और आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी आदि को रोकने के लिए कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें ऐसी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को छह महीने के लिए निवारक नजरबंदी में रखने का आदेश दिया जाता है।

इसके अलावा, आवश्यक वस्तुओं के कार्टेलाइजेशन, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए, 2016 में उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसमें आसूचना ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व आसूचना निदेशालय, आयकर और दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधि शामिल थे।

सरकार अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की साप्ताहिक बैठकों में खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य रुझानों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों पर भी बारीकी से नज़र रखती है। इन आकलनों के आधार पर, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से आईएमसी द्वारा आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपों की सिफारिश की जाती है, जिससे उपभोक्ताओं, किसानों और घरेलू उद्योग के हितों के बीच संतुलन सुनिश्चित हो सके।

******